

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
रामसुख व अन्य

मुकाम

अजमेर

बनाम रामकरण व अन्य

किस्म मुकदमा 53, 88, 188 मुकदमा नम्बर 77 / 2003.....सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.10.2019	<p>श्री पत्रावली पेश हुई। वादीगण अभिभाषक उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। परोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि दिनांक 14.7.2010 को प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 22.9.2010 को नियत की गई। जिस हेतु दिनांक 4.02.2011, 24.2.2011, 03.3.2011, 18.6.2013, 20.8.19, को वादी साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये गए। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 29.8.2019 को वादी साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने पर भी आज दिनांक तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 4.02.2011, 24.2.2011, 03.3.2011, 18.6.2013, 20.8.19, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 29.8.19 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। वादीगण द्वारा लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

